EXCHANGE PROGRAMME BTWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE SPHERES OF CULTURE, ARTS, EDUCATION, SCIENCE, PUBLICATION AND SPORTS FOR THE YEARS 2003-2006

Desirous of developing and strengthening relations of friendship, cultural and humanitarian cooperation.

Pursuant to the provisions of the Agreement on cooperation in the fields of culture, arts, education, tourism, sports and mass media between the Republic of India and the Republic of Armenia signed on December 14, 1995

Both the sides have agreed upon the following

I. CULTURE AND ARTS Article 1

Both sides will organize Cultural Days on mutual agreement.

Article 2

Both sides will exchange folklore groups of not more than ten persons, for a week.

Article 3

Both sides will exchange experts for 2-3 weeks to study the culture and art of the other country.

Article 4

Both sides will exchange one Archivist from each side for two weeks for exchange of views on archival practices.

Article 5

Both sides will exchange dolls designed by the doll designing center attached to the Shankar's International Dolls Museum with the concerned organization in Armenia and will exchange childrens' books published by Children Book Trust with corresponding organization in Armenia.

Article 6

Salarjung Museum and the National Gallery of Armenia will encourage the exchanges of publications and catalogues on reciprocal basis.

Article 7

The Armenian side will participate in Triennale in India.

Article 8

Both sides will exchange childrens' paintings and works of creative art. Details will be worked out through diplomatic channels.

Article 9

Armenian side will send an exhibition on art and culture of Armenia accompanied by an expert and lecturer for making presentation of Armenian culture in India, and an exhibition of handicrafts for 2 weeks accompanied by 4-5 crafts persons on reciprocal basis.

Article 10

The Indian side will organize an exhibition in Armenia accompanied by two experts.

Article 11

The National Library, Kolkata and the National Library of Armenia will exchange literature.

Article 12

Both sides will ensure the participation of the other country in the film festivals organized in their respective countries.

Article 13

Both sides will organize weeks of films on reciprocal basis with participation of 2-member delegation.

Article 14

Both sides will exchange films and newsreels accompanied by a delegation and develop cooperation in the field of film production of common interest on mutually accepted conditions.

II. YOUTH AFFAIRS AND SPORTS Article 15

Both sides will exchange sports teams, which will participate in major tournaments organized by the other country.

Article 16

Both sides will exchange official delegations and experts in the field of sports.

Article 17

Both sides will sign an inter-institutional agreement in the sphere of implementation of youth policy for rendering assistance to youth.

III. MASS MEDIA Article 18

Both sides will encourage the exchange of contemporary literature and writers.

Article 19

Both sides will encourage the exchange of information between the publication agency of Armenia and State Information Agency of India.

Article 20

Both sides will exchange the delegations of publication agency of Armenia and respective organization of the Republic of India for exchange of views in the field of publication.

IV MISCELLANEOUS Article 21

Additional proposals not included in this program will be considered and carried out by mutual agreement.

Article 22

The General and financial provisions under the cultural exchange programme between the two countries will form an integral part of the cultural exchange programme.

Article 23

The Programme shall come into force on the date of its signature.

Done on 22nd day of May, 2003 in two originals, each in Hindi, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any dispute, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Mar Ken

(DHANENDRA KUMAR)

DEPARTMENT OF CHILTIPE

SECRETARY

(TATOUL MARGARIAN)
DEPUTY MINISTER
OF FOREIGN AFFAIRS

GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS OF THE CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

1. General Provisions

Exchange of individuals, delegates, exhibitions.

- a) Each side shall send to the other side the bio-data (including language spoken and proposed itinerary) at least two months in advance of the expected date of visit of the delegation of individuals selected under this Programme and at least four months in advance in the case of performing delegations and exhibitions;
- b) The receiving side shall intimate the acceptance or otherwise of the proposal within one month after its receipt:
- c) After the approval has been received, the sending side shall inform the receiving side, at least three weeks in advance, of the exact mode and time of arrival of the person/persons;
- d) Persons invited, should know either the language of the receiving side, English or Russian.

2. Scholarships

- a) The receiving side will announce the granting of scholarships not later than 31st of January of each year;
- b) The sending side will forward to the receiving side the files of the candidates not later than 31st of March of each year;
- c) The files of the candidates must contain:
 - curriculum vitae
 - copies of diplomas or degrees
 - details of study or research programme
 - health certificates
 - the receiving party will give notice of the scholars to be accepted not later than 31st of May of each year
 - scholars must have adequate knowledge of either the language of the receiving side, English or Russian.

II. Financial Provisions

Exchange of individuals and delegations up to 3 months.

Both the sides shall exchange individuals and delegations for visits under this programme in accordance with the following provisions:

- a) The sending side will bear international travel expenses to and from the place of destination. The place of destination will be the place where the visit begins as per schedule;
- b) The receiving side will provide the following:

- free lodging
- free boarding
- cost of internal travel, incidental to the programme of stay
- local transport. In case local transport is not provided in India, an allowance will be paid.
- free medical care in case of sudden illness in approved medical institutions.
- in case of performing groups, the cost of organization of performances including publicity expenses.

The above provisions are valid from the date of the signing of this Programme. The two sides may revise these amounts, if necessary, through mutual consultations.

III. Exchange of exhibitions

The expenses incurred during the exchange of exhibitions will be borne as follows:

- The sending side will bear the international round cost of the exhibition.
- b) The receiving side will bear the cost of its organization, demonstration and publicity etc.
- c) The sending side will bear all insurance expenses of the exhibition.
- d) In case of damage of the exhibits, the receiving side shall forward to the sending side all documents in connection with the damage in order to facilitate the indemnification procedure with the relevant insurance agency.
- e) A separate agreement for organizing the exhibitions shall be executed, wherever necessary, between the two sides in order to detail specific responsibilities of the either side.
- f) The receiving side will provide necessary protection and security to the exhibitions.
- g) The damaged exhibits cannot be repaired without prior approval of the sending side.
- h) One expert from the sending side will accompany each exhibition. The expenses of the expert will be covered in accordance with the Financial Provisions of this Programme. The period of stay will be determined by mutual agreement.

वर्ष 2003-2006 के लिए संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, प्रकाशन और खेल-कूद के क्षेत्र में भारत गणराज्य तथा आर्मेनिया गणराज्य के बीच आदान-प्रदान कार्यक्रम

मैत्रीपूर्ण, सांस्कृतिक तथा मानवीय सहयोग के संबंध विकसित करने और सुदृढ़ करने की इच्छा से ;

14 दिसम्बर, 1995 को आर्मेनिया गणराज्य तथा भारत गणराज्य के बीच सम्पन्न संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेल - कूद और मीडिया के क्षेत्रों में सहयोग से सम्बद्ध करार के प्रावधानों के अनुसार ;

दोनों पक्ष निम्नलिखित के लिए सहमत हुए हैं :

संस्कृति तथा कला अनुच्छेद - एक

दोनों पक्ष परस्पर सहमति से सांस्कृतिक दिवसों का आयोजन करेंगे ।

अनुच्छेद - दो

दोनों पक्ष एक सप्ताह के लिए लोकवार्ता मंडलियों का आदान-प्रदान करेंगे जिनमें दस से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे ।

अनुच्छेदा - तीन

दोनों पक्ष पुरालेख व्यवहार के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए दो सप्ताह के लिए प्रत्येक पक्ष से एक पुरालेखविद का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - चार

दोनों पक्ष पुरालेख व्यवहार के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए दो सप्ताहों के लिए प्रत्येक पक्ष से एक पुरालेखिवद का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - पांच

दोनों पक्ष आर्मेनिया में संबंधित संगठन के साथ शंकर इन्टरनेशनल डोल्स संग्रहालय से सम्बद्ध गुड़िया डिजायनिंग सेन्टर तैयार गुड़ियों का आदान-प्रदान करेंगे और आर्मेनिया में संगत संगठन के साथ चिल्डर्न बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित बच्चों की पुस्तकों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - छह

सलारगंज संग्रहालय और नेशनल गैलरी आफ आर्मेनिया प्रकाशनों तथा सूचियों का एक-दूसरे को आदान-प्रदान करने को बढ़ावा देगें ।

अनुच्छेद - सात

आर्मेनिया पक्ष भारत में त्रिनाले में भाग लेगा ।

अनुच्छेद - आठ

दोनों पक्ष बच्चों की चित्रकारी और सृजनात्मक कलाकृतियों का आदान-प्रदान करेंगे । राजनियक चैनलों के माध्यम से ब्यौरे तैयार किए जाएंगे ।

अनुच्छेद - नौ

आर्मिनियाई पक्ष आदान-प्रदान के आधार पर 4-5 शिल्पियों के साथ 2 सप्ताह की हस्तशिल्प प्रदर्शनी और भारत में आर्मिनियाई संस्कृति के प्रस्तुतिकरण हेतु विशेषज्ञ सहित आर्मीनिया की कला और संस्कृति पर प्रदर्शनी का आयोजन करेगा ।

अनुच्छेद - दस

भारतीय पक्ष दो विशेषज्ञों के साथ आर्मीनिया में प्रदर्शनी का आयोजन करेगा ।

अनुच्छेद - ग्यारह

राष्ट्रीय पुस्तकालय और आर्मीनिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय साहित्यिक सामग्री का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद- बारह

दोनों पक्ष अपने - अपने देशों में आयोजित फिम्लोत्सवों में दूसरे देश की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ।

अनुच्छेद - तेरह

दोनों पक्ष दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी सहित आदान-प्रदान के आधार पर फिल्म सप्ताहों को आयोजन करेंगे ।

अनुच्छेद - चौदह

दोनों पक्ष फिल्में, न्यूजरील और प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर समान रूचि के फिल्म उत्पादन में सहयोग का संवर्द्धन करेंगे ।

II युवाकार्य एवं खेल अनुच्छेद - पदंह

दोनों पक्ष खेल टीमों का आदान - प्रदान करेंगे जो दूसरे देश द्वारा आयोजित प्रमुख टूनामेण्टों में भाग लेगी ।

अनुच्छेद - सोलह

दोनों पक्ष खेल के क्षेत्र में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे। अनुच्छेद - सन्नह

दोनों पक्ष युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए युवाओं से सम्बद्ध नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अंतर - संस्थागत करार सम्पन्न करेंगे ।

III जन प्रचार अनुच्छेद - अठारह

दोनों पक्ष समसामयिक साहित्य और लेखकों के आदान-प्रदान को संवर्द्धित करेंगे ।

अनुक्छेद - उन्नीस

दोनों पक्ष अर्मेनिया की प्रकाशन एजेन्सी तथा मारत के राज्य सूचना अभिकरण के बीच सूचना के आदान-प्रदान को संवर्द्धित करेंगे ।

अनुच्छेद - बीस

दोनों पक्ष प्रकाशन के क्षेत्र में विचारों के आदान-प्रदान के लिए आर्मेनिया की प्रकाशन एजेन्सी और भारत गणराज्य के अपने संगठन के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान करेंगे ।

IV विविध अनुच्छेद- इक्कीस

अतिरिक्त प्रस्ताव, जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं, पर परस्पर सहमति से विचार और कार्यान्वयन किया जाएगा ।

अनुच्छेद - बाईस

दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य एवं वित्तीय प्रावधान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का अंतरंग भाग होंगे ।

अनुच्छेद - तेईस

यह कार्यक्रम इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा ।

......को हिंदी, अंग्रेजी और आर्मेनियाई प्रत्येक भाषा में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

आर्मेनिया गणराज्य की सरकार की ओर से भारत गणराज्य की सरकार तथा आर्मेनिया गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के साधारण और

1. साधारण प्रावधान

I व्यक्तियों, प्रतिनिधियों, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान

- (क) प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को(इस कार्यक्रम के तहत चयनित व्यक्ति के शिष्टमण्डल यात्रा की संभावित तारीख के कम से कम दो माह अग्रिम में तथा मंचीय शिष्टमंडलों और प्रदर्शनियों के मामले में कम से कम चार माह अग्रिम में बोली जाने वाली भाषा और प्रस्तावित यात्रावृत्त सहित) बायोडाटा भेजेगा।
- (ख) प्राप्तकर्त्ता पक्ष प्राप्ति के एक माह के भीतर स्वीकृति अथवा अन्य प्रस्ताव सूचित करेगा।
- (ग) अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात भेजने वाला पक्ष प्राप्तकर्त्ता पक्ष की व्यक्ति / व्यक्तियों के निश्चित यात्रा साधन और आगमन का समय कम से कम छह सप्ताह अग्रिम में सुचित करेगा ।
- (घ) आमंत्रित व्यक्तियों, को या तो प्राप्तकर्त्ता पक्ष की भाषा अथवा अंग्रेजी या रूसी की जानकारी आवश्यक है।

2. छात्रवृत्तियां

- (क) प्राप्तकर्त्ता पक्ष 31 जनवरी तक छात्रवृत्तियों के प्रदान किए जाने की घोषणा करेगा ;
- (ख) भेजने वाला पक्ष प्राप्तकर्ता पक्ष को 31 मार्च तक उम्मीदवारों की फाइलें प्रेषित करेगा ;
- (ग) उम्मीदवारों की फाईलों में निम्नलिखित होना आवश्यक है :
 - पाठ्यक्रम
 - डिप्लोमा या उपाधियों की प्रतियां
 - अध्ययन या अनुसंघान कार्यक्रम के विवरण
 - स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 - प्राप्तकर्ता पक्ष 31 मई तक स्वीकृत किए जाने वाले विद्वानों का नोटिस देगा ।
 - विद्वानों को या तो प्राप्तकार्ता पक्ष की भाषा या अंग्रेजी अथवा आर्मेनियाई भाषा की पर्याप्त जानकारी होना अनिवार्य है ।

II वित्तीय प्रावधान

3 माह तक व्यक्तियों और शिष्टमण्डलों का आदान -प्रदान ।

दोनों पक्ष इस प्रोग्राम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति और शिष्टमंडलों की यात्राओं का आदान-प्रदान करेंगे:

- (क) भेजनेवाला पक्ष गंतव्य के लिए आने और जाने के अंतराष्ट्रीय यात्रा व्यय वहन करेगा । गंतव्य स्थान वह होगा जहां से यात्रा का कार्यक्रम आरंभ होता है ;
- (ख) प्राप्तकर्त्ता पक्ष निम्नलिखित प्रदान करेगा :
 - मुफ्त आवास
 - मुफ्त भोजन
 - प्रवास कार्यक्रम के लिए आकस्मिक आन्तरिक यात्रा की लागत
 - स्थानीय परिवहन, यदि भारत में स्थानीय परिवहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो भत्ता दिया जाएगा ।
 - अचानक बीमार हो जाने पर अनुमोदित चिकित्सा संस्थानों में मुफ्त चिकित्सा
 - मंचीय समूहों के मामले में प्रचार व्यय सिहत मंचन पर होने वाले अन्य व्यय ।

इस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने की तिथि को उपर्युक्त प्रावधान वैध होंगे । दोनों पक्ष, आवश्यकता पड़ने पर आपसी परामर्शों से राशि में संशोधन कर सकते हैं ।

III प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान

प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान के दौरान आने वाले व्यय का वहन निम्न रूप से किया जाएगा:

- (क) भेजने वाला पक्ष प्रदर्शनी पर आने वाले सभी व्यय को वहन करेगा ।
- (ख) प्राप्तकर्त्ता पक्ष आयोजन-प्रदर्शन और पोस्टरों इत्यादि पर आने वाला व्यय वहन करेगा ।
- (ग) भेजने वाला पक्ष प्रदर्शनी पर आने वाले सभी बीमा व्यय को वहन करेगा ।
- (घ) प्रदर्शों को क्षति पहुंचने की स्थिति में, प्राप्तकर्ता पक्ष भेजने वाले पक्ष को क्षति से संबंधित सभी दस्तावेज भेजेगा ताकि संबद्ध बीमा एजेंसी के साथ क्षतिपूर्ति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- (ङ) जब भी आवश्यक हो, दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे के विशेष उत्तरदायित्वों का उल्लेख करते हुए प्रदर्शनी के आयोजन के लिए एक अलग करार निष्पादित किया जाएगा।
- (च) प्राप्तकर्ता पक्ष प्रदर्शनी को आवश्यक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करेगा ।
- (छ) भेजने वाले पक्ष की पूर्व अनुमित के बिना क्षतिग्रस्त प्रदर्शों की मरम्मत नहीं की जा सकती ।
- (ज) भेजने वाले पक्ष से एक विशेषज्ञ प्रदर्शनी के साथ जाएगा । विशेषज्ञों पर आने वाला व्यय इस कार्यक्रम के वित्तीय प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । प्रवास की अवधि आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी ।